सीएस ने दी कलेक्टरों को हिदायत

योजनाओं का लाभ दिलाने में पूरी गंभीरता दिखाएं जिलाधीश

प्रशासनिक संवाददाता

भोपाल, 3 जून. मुख्य सचिव अनुराग जैन ने कलेक्टर्स से कहा है कि 5 जून से आयोजित होने वाले राज्य स्तरीय जनकल्याण अभियान में पात्र हितग्राहियों को केंद्र और राज्य की विभिन्न योजनाओं का लाभ देना सुनिश्चित करें. उन्होंने कलेक्टरों को चेताया है कि वे योजनाओं का लाभ दिलाने के मामले में पूरी गंभीरता दिखाएं.

5 जून से शुरू हो रहे राज्य जन कल्याण अभियान को लेकर सीएस ने की वीसी

मुख्य सचिव जैन बुधवार को मंत्रालय से संभाग के कमिश्नर, कलेक्टर और सीईओ जिला पंचायत को वीडियो कांफ्रेंसिंग के साथ अभियान की तैयारियों की समीक्षा कर रहे थे. इस दौरान सीएस ने कहा कि

विश्व पर्यावरण दिवस पर एक पेड़ मां के नाम और स्वच्छता अभियान, जनकल्याण शिविर, प्राकृतिक खेती कार्य-शालाएं तथा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस गतिविधियों का उत्कृष्ट क्रियान्वयन हो जिससे देश में मप्र अग्रणी हो. मुख्य सचिव जैन ने कलेक्टर्स से कहा है कि प्रदेश के लिए यह गौरान्वित करने वाली बात है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के 25 दिन पूर्व खजुराहो से काउंट-डाउन शुरू हुआ है. ऐसे में हम सबका यह उत्तरदायित्व है कि शरीर को निरोगी रखने वाले योग से जन-जन को जोड़ें और नया रिकार्ड कायम करें. बैठक में बताया गया कि गिनीज बुक आफ वर्ल्ड रिकार्ड के लिए योग की व्यक्तिगत श्रेणी की गतिविधि 14 जून को भी होगी जिससे लोग टोल-फ्री नंबर 18003157008 पर पंजीयन करवा सकते हैं. इस दिन यह आयोजन सुबह 6.15 से 7.35 बजे तक होगा.

समय-सीमा में मांगों और शिकायतों का हो समाधान

सीएस ने 12 से 18 जून की अवधि में हर ब्लाक में 3 दिवसीय जनकल्याण शिविर लगाने पर सर्वाधिक फोकस करने के कलेक्टर्स को निर्देश दिए हैं. उन्होंने कहा कि हितग्राही का योजनाओं के लिए चयन और प्रचलित योजनाओं का लाभ सुनिश्चित करने में पूरी गंभीरता बरतें. उन्होंने इस दौरान लोक सेवा गारंटी में प्राप्त शिकायतों के साथ ही समाधान एक दिन में प्राप्त आवेदनों का संतुष्टि पूर्ण समाधान करने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि प्रयास हो कि समय-सीमा में ही आवेदकों की जायज मांगो और शिकायतों का समाधान हो जाए. उन्होंने कहा है कि संबंधित विभाग संवदेनशील रहें और यह सुनिश्चित करें कि कोई भी वंचित पात्र हितग्राही शासन की योजनाओं के लाभ से नहीं छूटे. मुख्य सचिव ने निर्देश दिए हैं कि 19 और 20 जून को हर जिले में अनिवार्य रूप से प्राकृतिक और जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए प्रदर्शनी और कार्यशालाएं दो-दो स्थानों पर आयोजित की जाएं. उन्होंने कृषि भूमि को अधिक उपजाऊ बनाए रखने के लिए सही अर्थों में फर्टिलाइजर के उपयोग को हतोत्साहित करने और प्राकृतिक खेती को अपनाने पर फोकस करने के लिए कहा है.

पौध-रोपण जियो टैगिंग और क्यू आर कोड के साथ किया जाएगा

मुख्य सचिव ने कलेक्टर्स से कहा कि प्रभारी मंत्री से समन्वय कर कलेक्टर्स विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून से 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस तक होने वाली सभी गतिविधियों के लिए प्लान तैयार करें. बैठक में बताया गया कि मुख्यमंत्री डॉ. यादव 5 जून को भोपाल से अभियान का शुभारंभ करेंगे. इस दौरान पूरे प्रदेश में जल चेतना और पर्यावरण सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे. पौध-रोपण जियो टैगिंग और क्यू आर कोड के साथ किया जाएगा.

हाईकोर्ट जज के लिए अधिवक्ता अमित लाहोटी के नाम की अनुशंसा

जबलपुर. मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए सुप्रीम कोर्ट कालेजियम ने वरिष्ठ अधिवक्ता अमित लाहोटी के नाम की न्यायाधीश पद पर नियुक्ति के लिए अनुशंसा की है. अब यह प्रस्ताव केंद्र सरकार के पास विचारार्थ जाएगा. केंद्र की मंजूरी और राष्ट्रपति की अधिसूचना जारी होने के बाद उनकी नियुक्ति औपचारिक रूप से प्रभावी होगी तथा शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया जाएगा.

इलाज में लापरवाही से बच्ची की मौत

दो साल की बच्ची का शव कब्र से निकाला

नवभारत न्यूज़

इंदौर, 3 जून. भंवरकुआं क्षेत्र में दो साल की मासूम काशवी की संदिग्ध मौत के मामले में इलाज में लापरवाही के आरोप लगे हैं. परिजनों के हंगामे के बाद मौत के 5 दिन बाद शव को कब्र से निकालकर पोस्टमॉर्टम कराया.

भंवरकुआं थाना क्षेत्र में दो वर्षीय मासूम काशवी की मौत ने इलाज व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. परिजनों ने 'द हेल्थ केयर क्लीनिक' के डॉक्टर पर गलत उपचार और लापरवाही का आरोप लगाया है. जानकारी के मुताबिक, 27 मई को काशवी को उल्टी-दस्त की शिकायत हुई थी. परिजन उसे इलाज के लिए पास के क्लीनिक लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टर ने बच्ची को भर्ती कर ड्रिप चढ़ाई. आरोप है कि ड्रिप लगने के कुछ देर बाद ही बच्ची की हालत बिगड़ने लगी. परिजनों का कहना है कि हालत गंभीर होने के बावजूद डॉक्टर ने किसी बड़े अस्पताल रेफर करने के बजाय बच्ची को घर ले जाने की सलाह दे दी. घर पहुंचने के कुछ ही समय बाद बच्ची की मौत हो गई. घटना के बाद परिजनों ने बच्ची का अंतिम संस्कार कर दिया, लेकिन उन्हें लगातार संदेह बना रहा कि गलत इंजेक्शन या इलाज के कारण ही मौत हुई है. इसके बाद परिजनों ने पुलिस और प्रशासन से शिकायत की. एडिशनल डीसीपी अमरेंद्र सिंह ने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन की अनुमति पर मौत के 5 दिन बाद तहसीलदार और पुलिस की मौजूदगी में बच्ची का शव कब्र से बाहर निकाला गया. भंवरकुआं पुलिस ने मर्ग कायम कर शव को पोस्टमॉर्टम के लिए एमवाय अस्पताल भेज दिया है. पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के बाद ही मौत की असली वजह सामने आ सकेगी .फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है.

जल संरक्षण को आंदोलन बना रही सरकार

वर्षाकाल के पूर्व जल संरचनाओं के आवश्यक-सुरक्षात्मक कार्य पूरे करें

मंत्री सिलावट ने विभागीय कार्यों की समीक्षा की

भोपाल, 3 जून. जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट ने कहा है कि प्रदेश में जल संरक्षण और पर्यावरण सुधार को जन आंदोलन का स्वरूप दिया जा रहा है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प और मुख्यमंत्री मोहन यादव के नेतृत्व में 'जल गंगा संवर्धन' तथा 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान गांव-गांव और नगर-नगर में चलाए जा रहे हैं, जिनके सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं.

वल्लभ भवन में विभागीय परियोजनाओं की समीक्षा बैठक के दौरान मंत्री सिलावट ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वर्षाकाल से पहले सभी बांधों, नहरों, तालाबों और अन्य जल संरचनाओं की मरम्मत एवं सुरक्षात्मक कार्य हर हाल में पूरे किए जाएं.

मंत्री सिलावट ने कहा कि जल स्तर की सतत मॉनिटरिंग की जाए और गेट खोलने या जलस्तर बढ़ने की स्थिति में प्रशासन, पुलिस और आम नागरिकों को समय पर सूचना दी जाए. पिछले वर्षों में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की पहचान कर वहां सभी आवश्यक सुरक्षा इंतजाम करने के भी निर्देश दिए गए. उन्होंने नाव, गोताखोर, लाइफ जैकेट और अन्य सुरक्षा उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया.

उपमुख्यमंत्री ने की पूजा-अर्चना

भोपाल, 03 जून. मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने श्रीराम जानकी मंदिर पहुंचकर भगवान श्रीराम के दर्शन किए तथा आगामी श्रीरामकथा एवं श्रीराम यज्ञ की तैयारियों का जायजा लिया. इस दौरान उन्होंने मंदिर परिसर में व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया और आयोजन समिति से तैयारियों की विस्तृत जानकारी प्राप्त की. उप मुख्यमंत्री ने मडफेश्वर महादेव मंदिर पहुंचकर भगवान आशुतोष के दर्शन किए तथा हवन यज्ञ में आहुति देकर प्रदेश की सुख-समृद्धि की कामना की.

उल्लेखनीय है कि श्रीराम जानकी मंदिर, नजरबाग बाबूपुर में 3 जून से 11 जून तक दिव्य श्रीरामकथा एवं श्रीराम यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है.

इस धार्मिक आयोजन में जगद्गुरु रामानंदाचार्य श्रीरामललाचार्य महाराज की अमृतवाणी से रामकथा का वाचन होगा. आयोजन को लेकर श्रद्धालुओं में विशेष उत्साह देखा जा रहा है और बड़ी संख्या में भक्तों के शामिल होने की संभावना है.

लोकायुक्त ट्रैप के बाद ब्योहारी एसडीएम और तहसीलदार हटाए

शहडोल, 03 जून. जिले में ब्योहारी तहसील कार्यालय के एक कर्मचारी के लोकायुक्त ट्रैप में पकड़े जाने के बाद कलेक्टर केदार सिंह ने ब्योहारी के एसडीएम और तहसीलदार को उनके पदों से हटाकर कलेक्ट्रेट से संबद्ध कर दिया है.

आधिकारिक सूत्रों के अनुसार कलेक्टर केदार सिंह ने प्रशासन की छवि प्रभावित होने के मद्देनजर एसडीएम ब्योहारी भागीरथी लहरे और तहसीलदार ब्योहारी राजकुमार कोल को तत्काल प्रभाव से उनके पदों से हटाकर शहडोल कलेक्ट्रेट में अटैच कर दिया है.

उल्लेखनीय है कि हाल ही में रीवा लोकायुक्त पुलिस ने ब्योहारी एसडीएम न्यायालय में लंबित एक प्रकरण से जुड़े मामले में बाबू लल्लू प्रजापति को 75 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया था. आरोप है कि संबंधित प्रकरण में निर्णय प्रभावित करने के लिए रिश्वत की मांग की गई थी. लोकायुक्त की कार्रवाई के बाद जिला प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लेते हुए यह प्रशासनिक कदम उठाया है.

प्रशासन की कार्रवाई में 25 ट्रॉली रेत जब्त

सीधी, 3 जून . जिले में अवैध खनन और रेत भंडारण के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ग्राम निधिपुरी में लगभग 25 ट्रॉली अवैध रेत जब्त की है. यह कार्रवाई कलेक्टर विकास मिश्रा और पुलिस अधीक्षक संतोष कोरी के निर्देशन में खनिज एवं पुलिस विभाग की संयुक्त टीम ने की.

जिला खनिज अधिकारी कपिलमुनि शुक्ला के मार्गदर्शन में हुई कार्रवाई के दौरान ग्राम पंचायत धुम्माडोल के सरपंच, सचिव और ग्रामीण भी मौजूद रहे. शिकायतों के आधार पर किए गए निरीक्षण में विभिन्न स्थानों पर रेत लावारिस अवस्था में भंडारित मिली. ग्रामीणों ने बताया कि गोपद नदी घाट से अवैध उत्खनन कर रेत जमा की गई थी.

अधिकारियों ने पैमाइश के दौरान करीब 25 ट्रॉली रेत का अवैध भंडारण पाया. इसके बाद रेत को हाइवा वाहन से उठवाकर प्रशासनिक अभिरक्षा में लिया गया. मामले में मध्यप्रदेश खनिज (अवैध खनन, परिवहन तथा भंडारण का निवारण) नियम-2022 और मध्यप्रदेश खनिज रेत नियम-2019 के तहत प्रकरण तैयार किया जा रहा है. प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जिले में अवैध खनन, परिवहन और भंडारण के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा तथा खनिज संपदा के अवैध दोहन में शामिल लोगों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

राहुल गांधी एक व्यक्तित्व नहीं, विचारधारा हैं : चौधरी

मंदसौर, 3 जून. जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा स्थानीय सिंधु महल में आयोजित मंडलम अध्यक्षों के दो दिवसीय संगठन सृजन प्रशिक्षण शिविर का समापन हुआ. समापन सत्र को संबोधित करते हुए कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता एवं मध्यप्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी ने कहा कि राहुल गांधी केवल एक व्यक्तित्व नहीं, बल्कि एक विचारधारा हैं. कार्यकर्ताओं को कांग्रेस की मूल सोच और संगठन निर्माण में अपनी भूमिका को समझना होगा. उन्होंने कहा कि कांग्रेस को मजबूत बनाने के लिए व्यक्ति विशेष के बजाय किसान, मजदूर और कांग्रेस के पक्ष में नारे लगने चाहिए. संगठन की मजबूती ही चुनावी सफलता का आधार है. उन्होंने कार्यकर्ताओं से अहंकार छोड़कर संगठन के लिए समर्पित भाव से कार्य करने का आह्वान किया. विशिष्ट अतिथि एवं प्रदेश कांग्रेस के सह-प्रभारी संजय दत्त, पूर्व मंत्री प्रियव्रत सिंह, प्रशिक्षण विभाग के प्रभारी डॉ. महेंद्र जोशी, राष्ट्रीय प्रशिक्षक रजनीकांत एवं के. इनायत अली ने भी संगठन, संविधान और कांग्रेस के इतिहास पर अपने विचार रखे.

बुजुर्गों को मिला हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत का लाभ

दो अन्य आरोपियों ने वापस ली याचिका

जबलपुर, 3 जून. सागर जिले के जयसिंह नगर में दर्ज आपराधिक प्रकरण में आरोपी चार व्यक्तियों के द्वारा हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए आवेदन किया गया था. सुनवाई के दौरान दो आवेदको ने अग्रिम जमानत आवेदन को वापस ने लिया था. हाईकोर्ट जस्टिस विवेक जैन की एकलपीठ ने दो अन्य आवेदनों की सुनवाई के बाद 70 वर्षीय वृध्दा तथा 65 वर्षीय वृध्द को अग्रिम जमानत का लाभ प्रदान किया है.

सागर निवासी अनुराधा, संतोष, रामरानी और ओमकार ने सागर जिले के जयसिंहनगर थाने में धारा 296 (इ), 351 (3), 118 (1), 117, 118 (2) और 3 (5) के तहत दर्ज अपराधिक प्रकरण में अग्रिम जमानत के लिए आवेदन किये थे. सनुवाई के दौरान अनुराधा और संतोष ने अग्रिम जमानत को वापस लेते हुए आत्मसमर्पण करने की स्वतंत्रता देने का आग्रह किया था. नियमित जमानत आवेदन का शीघ्र निपटारा किये जाने की प्रार्थना की गयी थी. एकलपीठ ने प्रार्थना को उचित मानते हुए उसे स्वीकार कर लिया. याचिकाकर्ता की तरफ से तर्क दिया गया था कि आवेदक राम रानी की आयु 70 तथा ओंकार की उम्र 65 साल है. उन पर सिर्फ गाली-गलौज करने का आरोप है. आवेदिका राम रानी पर लाठी से हमला करने का आरोप भी है परंतु शिकायतकर्ता को कोई गंभीर चोट नहीं लगी है. एकलपीठ से आग्रह किया गया था कि दोनो को अग्रिम जमानत का लाभ प्रदान किया जाये. शासकीय अधिवक्ता ने केस डायरी में उपलब्ध सामग्री के आधार पर विरोध किया. एकलपीठ ने सुनवाई के बाद दोनों को सशर्त अग्रिम जमानत का लाभ प्रदान किया है.

शासन को लगाया 39.67 लाख का चूना

6 डायरेक्टर, 3 कर्मचारी पर पुलिस ने दर्ज की एफआईआर

जबलपुर, 3 जून . बेगमगंज सीड प्रोड्यूसर लिमिटेड कंपनी ने जमकर फर्जीवाड़ा किया. किसानों के नाम पर कूटरचित दस्तावेज तैयार करने, कर्मचारियों की फर्जी नियुक्तियां करने के साथ भारी गड़बड़झाला किया और शासन को 39,67,781 की आर्थिक चपत लगाई है. पाटन पुलिस ने 6 डायरेक्टर, 3 कर्मचारी पर एफआईआर दर्ज कर ली है.

पुलिस ने बताया कि किसान मजदूर महासंघ जबलपुर के जिलाध्यक्ष राजेन्द्र सिंह ठाकुर की शिकायत के बाद प्रशासन द्वारा एक विशेष जांच दल का गठन किया गया था. जांच टीम की रिपोर्ट में कंपनी का फर्जीवाड़ा सामने आया. कंपनी के डायरेक्टरों ने प्रबंधक मनीष चौरसिया, कंप्यूटर ऑपरेटर नीलेश विश्वकर्मा और अकाउंटेंट कमलेश साहू के नाम पर दो अलग-अलग तारीखों 20 फरवरी 2023 और 1 दिसम्बर 2022 में नियुक्ति आदेश जारी किए.

इन दोनों आदेशों पर अलग-अलग संचालकों के हस्ताक्षर थे, लेकिन कंपनी के रिकॉर्ड में इस नियुक्ति से जुड़ा कोई प्रस्ताव या निर्णय का दस्तावेज मिला ही नहीं.

उपार्जन कार्य के दैनिक खर्चों के लिए नियमों के तहत कंपनी के खाते में 50 लाख की राशि या क्रेडिट लिमिट होना अनिवार्य है. कंपनी ने इसके लिए बैंक का एक खाता नंबर जमा किया था. जांच में पता चला कि वह खाता नंबर बेगमगंज सीड प्रोड्यूसर लिमिटेड का है ही नहीं. जांच में कंपनी ने किसानों की जो सूची सौंपी थी, उसमें भारी लापरवाही मिली. सूची में शामिल किसानों के नाम के आगे न तो उनका पता जिला, तहसील या ग्राम लिखा था और न ही उनके द्वारा जमा किए गए शेयर की जानकारी थी.

डायरेक्टर ने साथियों के साथ रची साजिश

जांच में यह स्पष्ट हुआ है कि ग्राम उड़ना पाटन निवासी संदीप दुबे ने अपने साथी डायरेक्टरों और कंपनी के कर्मचारियों के साथ मिलकर इस पूरी साजिश को अंजाम दिया. इन लोगों ने प्रासंगिक व्यय, हैंडलिंग और कमीशन पत्रक के माध्यम से कुल 39,67,781 की राशि का अवैध रूप से भुगतान प्राप्त कर लिया. पाटन पुलिस ने बेगमगज सीड पोड्यूसर लिमिटेड कंपनी के 6 डायरेक्टर सचिन दुबे, रंजना पांडे, संदीप दुबे, अंशुल बर्मन, नेहा पांडे, उमा सिंह एवं कंपनी में कार्यरत कर्मचारी मनीष चौरसिया, कमलेश साहू, नीलेश विश्वकर्मा के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है.

फिर बदला सरकारी स्कूल यूनिफॉर्म का नियम

01 से 8वीं कक्षा तक खातों में पैसे की जगह अब सीधे मिलेगी ड्रेस

नवभारत प्रतिनिधि

भोपाल, 03 जून. प्रदेश सरकार के नए फैसले के तहत छात्र-छात्राओं के बैंक खातों में पैसा भेजने की बजाय उन्हें सीधे रेडीमेड यूनिफॉर्म खरीदकर दी जाएगी. वहीं विभाग अब राज्य के करीब 55 लाख बच्चों को सीधे यूनिफॉर्म देने की तैयारी में है. जिसे शैक्षणिक सत्र 2026-27 से प्रभावी करने की उम्मीद है.

2017 से अब तक 5 बार बदली यूनिफॉर्म वितरण की प्रक्रिया

2017 तक पहले बच्चों के खाते में दो जोड़ी यूनिफॉर्म के लिए 400 रुपये दिए जाते थे. 2018 में राशि में बढ़ोतरी कर 600 रुपये कर दिया गया. वहीं इसके कुछ समय बाद पैसे की जगह यूनिफॉर्म देने का निर्णय हुआ और वर्ष 2019 व 2020 में पंचायत विभाग के अंतर्गत आने वाले महिला स्व सहायता समूहों के माध्यम से यूनिफॉर्म तैयार कराई गई. लेकिन इन यूनिफॉर्म के साइज छोटे-बड़े निकलने की शिकायतें आईं. इसके बाद कोविड-19 महामारी के दौरान लॉकडाउन और फंड जारी होने में हुई देरी के चलते यह स्व सहायता समूह वाला मॉडल पूरी तरह चरमरा गया.

सत्र 2026-27 से लागू होने की है उम्मीद

2021 से डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) सिस्टम हुआ लागू

स्व सहायता समूह मॉडल के असफल होने के बाद सरकार ने 2021 में एक बार फिर बच्चों के बैंक खातों में सीधे 600 रुपये ट्रांसफर करने की व्यवस्था शुरू की. जिससे अभिभावक खुद कपड़ा खरीदकर स्थानीय दर्जियों से ड्रेस सिलवा सकें. पुरानी व्यवस्था में न तो कपड़ों की क्वालिटी सुनिश्चित हो पा रही थी और न ही एकरूपता. जिससे कई बच्चे स्कूलों में बेमेल या बिना तय मापदंड के कपड़े पहनकर आने लगे.

पारदर्शी और जवाबदेह सिस्टम हो तैयार

स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि खरीद के लिए एक पारदर्शी और जवाबदेह सिस्टम बनाया जाए, ताकि हर जिले में समय पर यूनिफॉर्म पहुंच सके. इससे सरकारी धन के उपयोग में पारदर्शिता आएगी और ग्रामीण व जनजातीय क्षेत्रों के बच्चों में आर्थिक असमानता दूर होकर समानता और अनुशासन की भावना पैदा होगी.

मतदाता सूची पुनरीक्षण का कार्य समय-सीमा में पूरा करें

भोपाल, 3 जून. मतदाता सूची पुनरीक्षण का कार्य समय-सीमा में पूरा करें. सचिव राज्य निर्वाचन आयोग दीपक सिंह ने यह बात पंचायत एवं नगरीय निकायों की फोटोयुक्त मतदाता सूची के पुनरीक्षण कार्य की समीक्षा के दौरान कही. सिंह ने जिलेवार लंबित दावे-आपत्तियों के निराकरण की स्थिति की समीक्षा की. उन्होंने कहा कि पुनरीक्षण कार्य में पूरी पारदर्शिता रहनी चाहिए. सिंह ने कहा कि मतदाता सूची पुनरीक्षण के संबंध में जो भी कार्यवाही करें, उसकी जानकारी स्टेरिंग कमेटी की बैठक के माध्यम से जनप्रतिनिधियों के संज्ञान में जरूर लायें. उन्होंने वर्किंग और नानवर्किंग ईव्हीएम की जानकारी देने के निर्देश भी दिये.

निर्णय | गोलबाजार स्थित जमीन मामले में हाईकोर्ट ने अवकाश के बाद सुनवाई के दिये निर्देश

सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाने के आदेश पर स्थगन से इंकार

जबलपुर, 3 जून. मप्र हाईकोर्ट ने अपने उस आदेश पर अंतरिम स्थगन देने से इंकार कर दिया, जिसमें जबलपुर कलेक्टर व नगर निगमायुक्त को निर्देश दिया गया था कि यदि गोलबाजार की सरकारी भूमि में अतिक्रमण पाया जाए तो 22 जून या उससे पहले हटाया जाए. जस्टिस प्रणय वर्मा व जस्टिस जेके पिल्लई की युगलपीठ ने पार्षद अयोध्या तिवारी सहित अन्य को अंतरिम राहत नहीं दी . कोर्ट ने ग्रीष्मावकाश के बाद मूल बेंच के समक्ष मामले की सुनवाई की व्यवस्था देते हुए अगली सुनवाई 19 जून को निर्धारित की है.

हस्तक्षेपकर्ता जबलपुर निवासी अमित जैन की ओर से अधिवक्ता सतीश वर्मा ने न्यायालय को बताया कि पुनरीक्षण याचिकाकर्ता जयदीप शाह के घर के सामने गोलबाजार में लगभग 12800 वर्ग फिट का एक भूखंड है. यह सरकारी भूमि है. जिस पर स्थानीय पार्षद अयोध्या तिवारी ने अतिक्रमण कर लिया है. इस संबंध में राज्य सरकार और नगर निगम को अभ्यावेदन दिया गया है. जिसके जरिए मांग की गई है कि अयोध्या तिवारी और अन्य लोगों द्वारा सरकारी भूमि पर किए गए अतिक्रमण को हटाया जाए. लेकिन नगर निगम व राज्य शासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है. कोर्ट ने विगत सुनवाई के बाद अपने आदेश में कहा था कि यदि याचिकाकर्ता इस संबंध में तीन दिनों के भीतर कलेक्टर व आयुक्त नगर निगम को अभ्यावेदन देता है, तो वे निर्णय लेंगे.

सबसे पहले, वे यह पता लगाएंगे कि कथित सरकारी भूमि वास्तव में सरकारी भूमि है या नहीं. और यदि यह पाया जाता है कि यह सरकारी भूमि है, तो वे 30 दिनों के भीतर अतिक्रमण हटाने के लिए सभी कदम उठाएंगे. वे 22 जून, 2026 को या उससे पहले अतिक्रमण हटा देंगे. इसी आदेश पर अंतरिम स्थगन के लिए अयोध्या तिवारी, उनके दो भाइयों व मां की ओर से अर्जी दायर की गई थी.

उल्लेखनीय है कि इस मामले में नगर निगम द्वारा 11 अतिक्रमणकारियों को नोटिस जारी कर तीन दिन में स्वामित्व एवं भवन निर्माण की जानकारी देने को कहा गया है.

पूर्व विधायक शशांक भार्गव की सुनवाई टली

मप्र हाईकोर्ट के जस्टिस देवनारायण मिश्र की एकलपीठ ने जनप्रतिनिधि से जुड़ा मामला होने के कारण पूर्व विधायक शशांक भार्गव के मामले की सुनवाई मुलतवी कर दी. मामले को उपयुक्त बेंच के समक्ष सूचीबद्ध करने की व्यवस्था देते हुए अगली सुनवाई 10 जून को निर्धारित की गई है. दरअसल मामला आत्महत्या दुष्प्रेरण के आरोप से संबंधित है. जिला अदालत व हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच से राहत न मिलने के बाद मामला जबलपुर मुख्यपीठ पहुंचा है. ऐसा इसलिए भी क्योंकि विदिशा भोपाल संभाग में आता है. यह मामला 27 अप्रैल 2026 को विदिशा के बेहलट गांव के निवासी गोविंद सिंह गुर्जर का शव रेलवे ट्रेक पर मिलने से संबंधित है. मरने से पूर्व गुर्जर ने एक वीडियो वायरल किया था, जिसमें पूर्व विधायक भार्गव पर प्रताडना के गंभीर आरोप लगाए थे. इसी मामले में गिरफ्तारी से बचने भार्गव ने यह अग्रिम जमानत की अर्जी दायर की है.

बच्ची की इच्छा सर्वोपरि मां को सौंपी कस्टडी

मप्र हाईकोर्ट ने सात वर्षीय अबोध बच्ची की इच्छा को सर्वोपरि मानते हुए उसे उसकी मां की कस्टडी में सौंप दिया. जस्टिस प्रणय वर्मा व जस्टिस जेके पिल्लई की युगलपीठ के समक्ष मासूम बच्ची ने कहा कि वह अपनी मां के साथ रहना चाहती है. पिता के साथ नहीं जाना चाहती. बच्ची के बयान को आधार बनाते हुए न्यायालय ने उसे मां के सुपुर्द करने के निर्देश दिये है. दरअसल जबलपुर निवासी प्रियंका ने बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर कर कहा था कि उसके पति नरेन्द्र 27 मई 2026 को बेटी निशि को दादी से मिलाने के बहाने अपने साथ नर्मदापुरम ले गये, लेकिन उसे वापस नहीं भेजा. जबकि जन्म से ही बच्ची उसकी देखरेख में रह रही है.